

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
47/021	53, 188 RTA	इलाहाबाद	इलाहाबाद
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
पुनमचंद	बनाम	रामकल्याण	

वकील :-

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

27/2

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सारिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्ये सम्मन तत्रव किया जाकर पत्रावली दिनांक 23.08.2021 को पेश हो।

M
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज०)

5/9/21

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं करने वक्त निवेदन किया है तथा वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण में चलाना नहीं चाहते हैं। Not PRESS किया है। प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं करने पर प्रकरण के कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली पेश करने के लिए उपरोक्त दफ्तर है।

M
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज०)

Not Press
5/10/21
M